कार्यवाही विवरण

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 23 जुलाई 2015 को शासन सचिवालय स्थित कॉफ्रेन्स हाल में राज्य के जिला कलक्टरों एवं संभागीय आयुक्तों की स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के संबंध में एक आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें संलग्न परिशिष्ठ **'क'** के अनुसार संभागियों ने भाग लिया :–

सर्वप्रथम श्री श्रीमत पाण्डेय, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सहित सभी संभागियों के स्वागत के साथ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०) की आमुखीकरण कार्यशाला के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के बारे में अवगत कराया गया। उन्होनें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करने एवं माननीया मुख्यमंत्री द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान को मार्च, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने की क्रियान्विति करने के लिए सेचुरेशन मोड में सामुदायिक सहभागिता के आधार पर कार्य करने की अपील की।

इसके पश्चात श्री सुरेन्द्र गोयल, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ने संभागियों को अवगत कराया कि बेस लाईन सर्वे 2012 के अनुसार राज्य में 115 लाख परिवारों में से 84 लाख परिवार शौचालय विहीन थे। जिनमे से अब तक 12 लाख परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई गई है एवं अभी भी 72 लाख परिवार शौचालय सुविधा से वंचित है। प्रदेश में वर्ष 2015–16 में 15 लाख, वर्ष 2016–17 मे 26 लाख वर्ष 2017–18 में 31 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि राज्य में पंचायती राज की अधिनियम की धारा 19 में परिवर्तन कर पंचायतीराज संस्थाओं के अधीन पदों पर निर्वाचन होने के लिए पहली प्राथमिकता यह तय की गई है कि चुनाव लड़ने वाले प्रार्थियों को घर में शौचालय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके तहत प्रदेश में 4 लाख 78 हजार जनप्रतिनिधियों ने शौचालय निर्माण करा लिया है। इसी क्रम में राज्य सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों एवं मानदेय पर कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए भी घर में शौचालय होने की अनिवार्यता लागू की है। मंत्री महोदय ने जिला कलक्टर्स से कहा कि वे एक–एक पंचायत को गोद लेकर मॉडल बनाते हुए उन पर फोकस करें, जिससे दूसरे जनप्रतिनिधियों में प्रेरणा का संचार हो। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बीकानेर, चूरू, पाली, सिरोही जिलों में हुए कार्यों का उदाहरण देते हुए इनसे अन्य जिलों को सीख लेने को कहा। उन्होंने जिला कलक्टरों को अपने–अपने जिले में निर्देशो की पालना की समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

श्री आनन्द कुमार,शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग द्वारा वर्ष 2018 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त किए जाने हेतु पावर प्वाइन्ट प्रस्तुतिकरण में 14 जुलाई 2014 को माननीया मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का उल्लेख करते हुए यह बताया कि वर्ष 2018 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु सी.एल.टी.एस. विधा का उपयोग कर सामुदायिक सहभागिता के द्वारा सेचुरेशन एप्रोच के आधार पर गांव, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलों में रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।